न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान .....सन्तोष.....बनाम.....रामपत.....

किस्म मुकदमा.....212 RTACT.....मु0नं0.....19.....सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
21.01.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 23.02.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आ0ख0नं0 1867/0.6070, 2931/1866/0.2024 है0 वाके ग्राम कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर मे प्रार्थी के हक हिस्से तक राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 23.02.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम 23/2/21 वादी अधिवक्ता उप0 वास्ते RAD तलबी पत्रावली 09.3.21 को पेश हो 09/3/21 प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन बाद खारिज करवा लिया है। इसलिए प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नजरबन्द से कम हो तथा बाद अन्तरीम समाप्त माना जावे। उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:22 IST
Reason: SelfAttested